भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2091

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

2091. श्री वरुण चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के आरंभ से लेकर आज की तिथि तक इसके कार्यान्वयन पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) वर्तमान में देश में बनाए गए सक्रिय आभा आईडी की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड करने में सक्षम और अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की डिजिटल सुलभता वाले आभा आईडी प्राप्त मरीजों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डेटा को दुरूपयोग से बचाने तथा सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी के विकास में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया गया था। इसके आरंभ से वित्त वर्ष 2025-26 तक एबीडीएम को कार्यान्वित करने पर हुई व्यय राशि रु. 860.31 करोड़ है।

27 जुलाई 2026 की स्थितिनुसार, 95.73 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) बनाया जा चुका है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बनाए गए आभा की संख्या का विवरण रियल-टाइम डैशबोर्ड dashboard.abdm.gov.in पर उपलब्ध है।

एबीडीएम-सक्षम पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड (पीएचआर) एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी नागरिक जिसके पास आभा है, वह अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड और डिजिटल रूप से सुरक्षित पहुंच और प्रबंधित कर सकता है।

'व्यवस्थागत गोपनीयता' एबीडीएम के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है और इसे फेडरल डिजिटल आर्किटेक्चर के सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। डेटा का कोई केंद्रीकृत भण्डारण नहीं है। एबीडीएम रोगी की सहमति पश्चात एबीडीएम नेटवर्क पर इच्छित हितधारकों के साथ सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान को सुगम बनाता है। एबीडीएम के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को अवधारित करते हैं। इनमें स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, डेटा गोपनीयता नीति और एबीडीएम स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) मोबाइल ऐप की गोपनीयता नीति शामिल हैं। एबीडीएम के साथ एकीकरण हेतु डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशनों को सुरक्षा ऑडिट से गुजरना आवश्यक है।
